



Neutral Citation No. -2026: AHC:128129

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18512/2026

अबुज़र शमीम

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता

: पवन कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -48

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, श्री पवन कुमार, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अभियुक्त/आवेदक-अबुज़र शमीम राइन पुत्र शमीम अहमद, निवासी- मोहल्ला अफगानान किरतपुर, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 57/2026, भारतीय न्याय संहिता की धारा 326(एफ), 152 के अंतर्गत, थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. संक्षेप में अभियोजन पक्ष की कहानी यह है कि सूचक नीमिस रस्तोगी द्वारा 10.03.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट यह कहते हुए दर्ज कराई गई कि उसकी वाहन संख्या यूपी20टी1781 दिनांक 04.03.2026 को काली माता मंदिर के सामने मोतीचूर के निकट खड़ी थी। रात्रि लगभग 10:20 बजे, एक व्यक्ति ने वाहन पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दिया, जिसके कारण, उसका वाहन अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया। उक्त आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट 10.03.2026 को पंजीकृत की गई। विवेचना के दौरान, विवेचक द्वारा विभिन्न सूचनाएँ एवं सीसीटीवी फुटेज संकलित किए गए तथा आवेदक का नाम प्रकाश में आया और 12.03.2026 को उसे गिरफ्तार किया गया। वीवो ब्रांड का मोबाइल फोन, आईएमई संख्या 866003075957453 एवं 866003075957446 बरामद हुआ, उक्त मोबाइल के प्रथम सिम स्लॉट में मोबाइल नंबर 7819014581 का सिम लगा हुआ था, द्वितीय सिम स्लॉट रिक्त पाया गया, मोबाइल फोन की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



सामग्री का परीक्षण करने पर यह परिलक्षित हुआ कि आवेदक - अबुज़र शमीम राइन नामक व्यक्ति के संपर्क में था, जो कथित रूप से उसे जिहादी गतिविधियों में संलिप्त होने हेतु प्रेरित कर रहा था। फलस्वरूप, उक्त व्यक्ति द्वारा आवेदक की अन्य व्यक्ति से मुलाकात कराने की व्यवस्था की गई। अबुज़र भी जिहादी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए उकसाता था।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। अभियोजन पक्ष की केस डायरी में भी उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आवेदक को केवल मुखबिर की सूचना एवं पुलिस के समक्ष उसके कथित बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। अभियुक्त-आवेदक के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है।

5. यह निवेदित किया गया कि उसके कब्जे से केवल एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसमें कथित आपत्तिजनक सामग्री होना बताया गया है, किन्तु उसकी मौलिकता के संबंध में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

6. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के पात्र है।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि यह सत्य है कि प्रारम्भ में आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं था। विवेचना के दौरान, विवेचक द्वारा गहन जांच की गई तथा सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए, सीसीटीवी फुटेज को भादंसा की धारा 63(4)(सी) के अंतर्गत प्रमाणित कराया गया।

8. उक्त साक्ष्यों के आधार पर, विवेचक ने विवेचना आगे बढ़ाई, आवेदक को गिरफ्तार किया गया तथा आवेदक के कब्जे से एक मोबाइल फोन एवं ₹ 400/- बरामद किए गए। अभियुक्त-आवेदक को धन की आवश्यकता थी, जिसके कारण उसने खाला (मौसी) के पुत्र सह-अभियुक्त जैद से संपर्क किया तथा उसने आवेदक को आर्थिक सहायता दिलाई, तब उसने अबुज़र नामक एक परिचित व्यक्ति के बारे में बताया, जो कथित रूप से अपने समुदाय के सदस्यों की सहायता किया करता था। वह व्हाट्सएप पर लगातार बातचीत कर रहा था तथा बातचीत करने वाला जैद उससे देश के हिंदुओं के खिलाफ़ बातें करता था और कहता था कि भारत में सभी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें इन हिन्दुओं से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



प्रतिशोध लेना है। उक्त जैद द्वारा हिन्दुओं के चित्रों एवं अन्य आपत्तिजनक वीडियो एवं क्लिप आवेदक को भेजे गए। उन्हें हिंदुओं के खिलाफ गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई। बरामद मोबाइल की सामग्री से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित होता है कि आवेदक एवं सह-अभियुक्तों ने भारत की एकता, अखण्डता एवं संप्रभुता को प्रभावित करने का प्रयास किया है। उसे लगातार दो लोगों से आपत्तिजनक वीडियो और क्लिप मिल रहे थे, उसने जलते हुए वाहन का वीडियो रिकॉर्ड करके अबूजर के मोबाइल पर भेजा। आवेदक ने ऑनलाइन पैसे भेजने के अनुरोध के साथ अबूजर को अपने दो मोबाइल नंबर भी भेजे।

9. अतः उपर्युक्त समस्त साक्ष्यों की उपस्थिति में यह प्रतीत होता है कि उक्त कृत्य भारत की एकता एवं अखंडता को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया था।

10. अगला प्रतिवाद यह किया गया कि आवेदक जमानत प्रदान किए जाने का पात्र नहीं है।

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरांत, बिना मामले के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए, न्यायालय की यह राय है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु कोई उपयुक्त आधार विद्यमान नहीं है।

12. तदनुसार, जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

(लक्ष्मी कांत शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026